रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1974/पौष 13, 1895
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 1974/PAUSA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd January, 1974.

S.O. 13 (E).—Whereas the Central Government is of opinion that the Bombay Unit of Messrs Hind Cycles Limited, Bombay, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter referred to as the said Act), is being managed in a manner highly detrimental to public interest:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18 A of the said Act, the Central Government hereby authorises the body of persons (in this Order referred to as the Board of Management) comprising of:—

1. Shri B. G. Roy, *Chairman*
General Manager,
Industrial Reconstruction Corporation of India Limited,
19, Netaji Subhas Road (2nd Floor),
Calcutta-1.

2. Shri N. V. Iyer, *Member*
Partner in the firm of Messrs C.C. Chokshi & Company,
Chartered Accountants,
Bombay—a nominee of the State Bank of India.

3. Shri V. Dikshit, *Member*
Secretary,
Investment Research,
Central Office,
Life Insurance Corporation of India,
Bombay.

4. Shri S. K. Desai, *Member*
Manager,
General Insurance Corporation of India.

5. Shri A. Deshpande, *Member*
Managing Director,
State Industrial & Investment
Corporation of Maharashtra Ltd.,
Bombay.

6. Shri P. K. Kaul, *Member*
Commissioner & Secretary,
Industries Department,
Uttar Pradesh.

to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, the Bombay Unit of Messrs Hind Cycles Limited, Bombay, subject to the following terms and conditions namely :—

(i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government :

(ii) the Board of Management shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette ; and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 2/16/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974

का० आ० 13 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई औद्योगिक उपक्रम की मुम्बई एकक का, जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है, प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो लोक हित में अति अहितकर है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों के निकाय (जिसे इस आदेश में प्रबन्ध बोर्ड कहा गया है) को

1. श्री बी० जी० राय, अध्यक्ष
महाप्रबन्धक,
इण्डस्ट्रियल रीकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लि०,
19, नेता जी सुभाष रोड, दूसरी मंजिल,
कलकत्ता-1.

2. श्री एन० वी० अय्यर, सदस्य
मैं० सी० सी० चौकसी एण्ड कम्पनी,
के भागीदार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
बम्बई—स्टेट बैंक आफ इंण्डिया के
मनोनीत सदस्य ।

3. श्री बी० दीक्षित, सदस्य
सचिव,
निवेश अनुसंधान,
केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम,
बम्बई ।

4. श्री एस० के० देशाई, सदस्य
प्रबन्धक,
जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंण्डिया ।

5. श्री ए० देशपाण्डे, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लि०,
बम्बई ।

6. श्री पी० के० कौल, सदस्य
आयुक्त और सचिव,
उद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

उक्त उपक्रम, अर्थात मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई, के मुम्बई एकक के पूर्ण प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने के लिए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

(1) प्रबन्ध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करेगा ;

(2) प्रबन्ध बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष पर्यन्त पदासीन रहेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रबन्ध बोर्ड में के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, पहले समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 2/16/73-सी० यू० सी०]
डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974